

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम


फर्द अहकाम
 मु० नं० ५१/१६ तारीख २२ नू ३७.११६

उनपान- गानासिंह बनाम राजपानसिंह वगैरे
 विरलोन

प्रार्थना पत्र अत्याधी निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से सुरेश चन्द्र शर्मा वि० ने प्रार्थना पत्र अत्याधी निषेधाज्ञा पेश किया। शपथपत्र पंजनाबदी का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस से तालब कर दि० १-४-१६ को पेश हो।

2012-13
 22/1/16


 उपजिला कलेक्टर
 टोडाभीम (करोली)

१-४-१६

प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी १ ता० ६ की ओर से श्री संजय गहलोत ने भीमो चक्र लिखा। अप्रार्थी नं० ७, ८ सबजूद सूचना उप० नहीं उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही के लिए पेश करने के कालतनामा व जकार्ड दि० १०/४/१६ को पेश हो। P.O. सी० पी० में भरतपुर पपोर दि० १०/४/१६ को पेश हो।

१-४-१६

प्रार्थी वकील एवं अप्रार्थी नं० १ ता० ६ के वकील उपस्थित। अप्रार्थी नं० ७, ८ के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकील उभयपक्ष को अंतरिम अत्याधी निषेधाज्ञा के बिन्दु पर लुना गया। उपम हलपा प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अत्याधी निषेधाज्ञा पर अंतरिम अत्याधी निषेधाज्ञा आगामी सुनवाई तिथी तक रहन वष


न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

दिनांक

फर्द अहकाम

आपके द्वारे कैम्प देवलेन में पेश हुई गैरसाथलान की ओर से जबकि पेश नहीं हुआ है, जबकि उन्हें जबकि पेश करने पर्याप्त समय दिया जा चुका है किन्तु जबकि पेश नहीं होने के कारण गैरसाथलान का जबकि बन्द किया जाता है। पत्रावली का अवलोकन किया। मूल दावा तफाजा का है। दावा के फैसला होने तक दिनांक 10.8.2016 को जारी की गई अंतरिम आस्थापित निवेद्या का कन्फर्म किया जाता है तथा ग्राम देवलेन की भूमि खसरा नम्बर 541, 544, 546, 1451, 1452, 547, 550 कुल कित्ता 7 कुल रकबा 1.90 है 0 के रिकार्ड एवं मोके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए आपपक्ष को पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होका नम्बर से कम होका दावा पत्रावली के साथ संलग्न करें।

निर्णय आज दिनांक 19.5.2017 को लिरबाया जाका खुले न्यायालय में कैम्प देवलेन में सुनाया गया।


 (जगदीश आर्ष)